प्रेस नोट 18/07/2022

अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पकड़ी मोड़ के पास से जनार्दन पुत्र स्व0 बद्रीनाथ निवासी कस्बा खाश मुस्किया थाना घोसी मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 371/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मवेशी (भैंस) बरामद–

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर इंदारा चट्टी के पास से मु0अ0सं0 320/22 धारा 379 भादवि में वांछित अभिुक्त मुस्तफा पुत्र रुस्तम मिस्त्री निवासी मिश्रौली थाना घोसी मऊ के कब्जे से एक राशि चोरी की भैंस बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि के बढोत्तरी कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नौसेमर पुराघाट पुल के पास से मु0अ0सं0 179/22 धारा 354,504,506 भादव व 7/8 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त राहुल साहनी पुत्र रामकृपाल निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 19 व्यक्ति गिरफ्तार–

ज्नपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 18.07.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा रामदर्शन यादव निवासी अल्लीपुर, बुद्धमणि निवासी अब्बूपुर व संजय यादव निवासी कटघर क्याम थाना चिरैयाकोट, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा नंदन कन्नौजिया निवासी सलेमपुर, हैदर अब्बास निवासी क्यारीटोला थाना कोतवाली, चिराग निवासी मदनपुरा, सोनू साहनी निवासी बैजापुर, गोविंद राजभर, राजेश निवासीगण भटकुंआ पट्टी, भाउद्दीन, अलाउद्दीन, सलाउद्दीन, जमालुद्दीन, समीउल्ला व मो0 साबिर, नूर आलम निवासीगण हमीनपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा रमेश प्रजापति व राहुल निवासीगण गोठा व विवेक चौहान अशोक निवासीगण हरदौली थाना दोहरीघाट व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मकबूल व सैरुनिशा निवासीगण नोकहट थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।